कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
मेरठ।

पत्रांक 5723 /क्षे0प्र0/एम-आर/जी0-सफाई ठेका/18 दिनांक 10/08/.2018

सोहराबगेट डिपो कार्यशाला की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

सोहराबगेट डिपो कार्यशाला परिसर में केवल शेड एवं ऑफिसेज की सफाई व्यवस्था हेतु निम्न शर्तो पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैः-

1. क्षेत्रफलः- सोहराबगेट डिपो कार्यशाला का क्षेत्रफल 9704 वर्ग मीटर।
2. उक्त ठेका 02 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा परन्तु यदि कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो 15 दिन की नोटिस पर ठेका समाप्त किया जा सकता है।
3. परिसर की सफाई व्यवस्था में लगे सफाईकर्मियों को सदैव निर्धारित वर्दी में होना व नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य होगा।
4. फर्म/ठेकेदार को निम्नवत प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, मेरठ के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगाः-

   सोहराबगेट डिपो कार्यशाला- रू0 5,000/-

5. प्रस्ताव के साथ वांछित धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न न होने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निगम मुख्यालय द्वारा कार्यशाला परिसर की सफाई हेतु रू0 1.38 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह निर्धारित है।
7. *कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संचालक के विरूद्ध निम्न तालिकानुसार पेनाल्टी लगायी* जायेगीः-

क्र0 सं0	पेनाल्टी प्राविधान	अ	ब	स
1.	प्रथम अवसर	रू0 200/-	रू0 500/-	रू0 750/-
2.	द्वितीय अवसर	रू0 300/-	रू0 1000/-	रू0 1500/-
3.	तृतीय अवसर	रू0 500/-	रू0 1500/-	रू0 2000/-

उक्त तीनों अवसरों के उपरान्त यदि पुनरावृत्ति पायी जाती है तो 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देते हुए संचालक की पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

8. फर्म/ठेकेदार द्वारा अपने प्रस्ताव के साथ दर, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में दर के बिना टैण्डर स्वीकार नहीं होगा।
9. फर्म/ठेकेदार को परिसर/कार्यालय में सफाई व्यवस्था, छतो में मकड़ी के जाले आदि की सफाई अच्छी प्रकार रखनी अनिवार्य होगी।
10. प्रस्तावित दर पर यदि सर्विस टैक्स आदि में कोई देयता बनती है तो वह सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को वहन करना होगा।
11. फर्म/ठेकेदार द्वारा लगाये गये कार्मिको का वेतन, ईपीएफ इत्यादि के भुगतान का दायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा। किसी भी दशा में निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. फर्म/ठेकेदार को झाड़ू, चूना, फिनाईल, कूड़ा उठाने की ट्राली आदि स्वंय अपने व्यय पर वहन करनी होगी।
13. फर्म/ठेकेदार को इस प्रकार के कार्य करने का न्यूनतम 06 माह का अनुभव होना अनिवार्य है।

Downloaded from www.upsrtc.com

14. फर्म/ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार का विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।

15. फर्म/ठेकेदार द्वारा अपना देयक माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा। फर्म/ठेकेदार द्वारा विलम्बित देयक प्रस्तुतिकरण पर देयक राशि के 1 प्रतिशत प्रति दिवस की दर से कटौती संस्तुत कर ही देयक अग्रसारित किया जायेगा।

16. फर्म/ठेकेदार को पैन कार्ड की प्रति प्रस्ताव के साथ नत्थी करना अनिवार्य होगा एंव भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0/सेवा कर/अन्य कर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

कृपया उपरोक्ता बिन्दुओं पर सम्पूर्ण सूचना समाहित करते हुए सादे कागज पर इच्छुक प्रस्तावकों द्वारा मासिक दर का उल्लेख करते हुए अपनें प्रस्ताव **दिनांक** 16.08.2018 को 14:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में जमानत राशि के ड्राफ्ट सहित **क्षेत्रीय कार्यालय** के टैण्डर बाक्स में डाले जायेंगे, जो दिनॉक **16.08.2018** को ही 15:00 बजे ऑफर दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे तथा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को ई—मेल के माध्यम से सूचनार्थ एंव आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक(वाणिज्य एवं विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता(पश्चिम) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
7. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
8. स0क्षे0प्र0, स्टेशन अधीक्षक/डिपो प्रभारी मेरठ/सो0गेट/भैसाली/बडौत/गढ।
9. tender@upsrtc.com
10. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
मेरठ।

Downloaded from www.upsrtc.com